<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-358/15</u> संस्थित दिनांक- 04.11.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

 गंगाराम पुत्र सुल्तान सिंह लोधी उम्र 47 साल निवासी ग्राम आकेत तहसील पिपरई जिला— अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 12.06.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 456, 354, 506 भाग—दो के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 01.10.2015 को समय करीब रात दो बजे ग्राम आकेत में फरियादिया ज्ञानबाई के घर, जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रौ प्रछन्न गृहअतिचार कारित कर फरियादियां ज्ञानबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.10.2015 को रात करीबन ढेड बजे फरियादी ज्ञान बाई घर के अंदर सो रही थी, कि रात में ही गांव का गंगाराम लोधी घर में घुस आया तथा बरी नियत से फरियादी ज्ञान बाई कि छाती दबा दी, फरियादी ज्ञानबाई चिल्लायी तो दोनो लडके महेंन्द्र तथा देशराज सिहं लोधी आ गये तो उन्हें देखकर गंगाराम लोधी घर में से दीवार कूंदकर भाग गया, जाते समय कह गया कि अगर तूने मेरी रिपोर्ट करने को गयी तो जान से मार दूंगा। उक्त घटना गांव में जाकर चौकीदार कल्लू परिहार को बतायी। फरियादियां नें घटना की रिपोर्ट दिनांक 03.10.15 को पुलिस थाना पिपरई में जाकर की। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध कमांक—199/15 अंतर्गत धारा— 354, 456, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.06.17 को फरियादी ज्ञानबाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा— 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया गया, भा0द0वि0 की धारा 456, 354 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.10.2015 को समय करीब रात दो बजे ग्राम आकेत में फरियादिया ज्ञानबाई के घर, जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रौ प्रछन्न गृहअतिचार कारित किया
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादियां ज्ञानबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य कि पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादिया ज्ञान बाई (अ०सा0—1) सहित उसके पुत्र महेंद्र (अ०सा0—2) व देशराज (अ०सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 07— फरियादियां ज्ञान बाई (अ0सा0—1) का अपने कथनों में कहना है कि लगभग दो ढाई साल पहले रात में जब वह घर में सो रही थी, तब उसे बर्तन की कुछ आवाज सुनायी दी जिससे नींद खुलने पर उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने घर में देखा, जो उसके

जागने पर भाग गया था। इस साक्षी का कहना है कि वह अंधेरे के कारण उस व्यक्ति को नहीं देख पायी थीं तथा व्यक्ति घर में क्यों घुसा था, वह यह भी नहीं बता सकती हैं। फरियादिया ज्ञान बाई (अ०सा०–1) का अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के विरूद्ध यह कहना है कि अभियुक्त उसके घर में नहीं घुसा था और न ही उसने अपनी रिपोर्ट प्र०पी० 1 में अभियुक्त का नाम लिखवाया हैं।

- 08— फरियादिया ज्ञानबाई (अ०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के समर्थन में मात्र यह बताया है कि घटना दिनांक को रात्रि के समय उसके घर में कोई व्यक्ति घुस आया था। घर में घुसने वाला व्यक्ति कौन था तथा वह घर में क्यों घुसा था तथा उसने घर में घुस कर क्या किया, इस संबंध में इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये। फरियादी का यह स्पष्ट कहना है कि उसके घर में न तो अभियुक्त घुसा था और न ही उसने अभियुक्त का नाम रिपोर्ट प्रक्रपी0 1 में लेख कराया। अतः ज्ञान बाई (अ०सा०—1) के अनुसार अभियुक्त ने कोइ घटना कारित नही की। फरियादि के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रि0 1 से मैल नही खाते हैं। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अपने परीक्षण में ही इस बात का खण्डन किया कि अभियुक्त न तो उसके घर में घुसा और न ही उसने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती दबाई।
- 09— घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी फरियादी ज्ञान बाई (अ०सा0—1) के पुत्र महेंद्र (अ०सा0—2) व देशराज (अ०सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य न्यायालय में नही दिये। देशराज (अ०सा0—3) घटना दिनांक को घर पर न होना बताता हैं तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता हैं। वहीं महेंद्र (अ०सा0—2) अपनी मां ज्ञानबाई (अ०सा0—1) के कथनों के सामान यह अवश्य कहता है कि उसकी मां की चिल्लाने के आवाज पर से वह अपनी मां के कमरे में पहुंचा था परन्तु इस साक्षी का कहना है कि न तो उसने अभियुक्त को घर से भागते हुये देखा और न ही उसकी मां ने अभियुक्त के घर में घुसने में उसे या किसी अन्य को कुछ बताया। महेंद्र (अ०सा0—2) व देशराज (अ०सा0—3) को भी अभियोजन का समर्थन न करने कारण अभियोनज द्वारा पक्षविरोधी कर विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं दी हैं।
- 10— फरियादिया ज्ञानबाई (अ०सा०—1) जो कि घटना में पीडित होकर अभियोजन की मुख्य साक्षी हैं तथा जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपार्ट प्र०पी० 1 लेखबद्ध कराये जाने की बात को अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार भी किया गया हैं, ने अपने संपूर्ण कथनों में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिये और न ही इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक को जो व्यक्ति उसके घर में घुसा था, उसने लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती दबाई थी, इस साक्षी का अज्ञात व्यक्ति के संबंध में भी यह कहना है कि वह जब जागी तो वह व्यक्ति दीवार कूंद कर भाग गया। अतः फरियादिया ज्ञानबाई

(अ०सा0—1) सिहत महेंद्र (अ०सा0—2) व देशराज (अ०सा0—3) के कथनों से घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति ही प्रमाणित नहीं होती है वहीं मुख्य पीडित ज्ञानबाई (अ०सा0—1) के ये कहने से कि अभियुक्त उसके घर में नहीं घुसा था और न ही उसने अभियुक्त के विरूद्ध प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लेख करायी थी, से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य न होने से आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। फरियादी साहित साक्षियों ने अभियुक्त से राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है. जिसका प्रभाव निश्चित रूप से उनके कथनों में हो सकता हैं।

- 11— फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.10.2015 को समय करीब रात दो बजे ग्राम आकेत में फिरयादिया ज्ञानबाई के घर, जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रौ प्रछन्न गृहअतिचार कारित कर फिरयादियां ज्ञानबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसकी छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 12— फलतः अभियुक्त गंगाराम पुत्र सुल्तान सिंह लोधी के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—456, 354 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त गंगाराम पुत्र सुल्तान सिंह लोधी को भा०दं०वि० की धारा—456, 354 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— <u>अभियुक्त गंगाराम पुत्र सुल्तान सिंह लोधी</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य कुछ नही।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)